

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी- 17 /2018/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पे बैंड	ग्रेड पे
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, कनिष्ठ सहायक, जयपुर-1	09.01.1995	18 वर्ष	09.01.2013	5200-20200	2800
2.	श्री खेताराम, वरिष्ठ सहायक, हनुमानगढ़।	23.03.1999	18 वर्ष	23.03.2017	9300-34800	3600
3.	श्रीमति श्वेतालाल, कनिष्ठ सहायक, जयपुर।	12.10.1999	18 वर्ष	12.10.2017	9300-34800	3600
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक, बांसवाडा।	21.08.1999	18 वर्ष	21.08.2017	9300-34800	3600
5.	श्रीमति नीलम पुरी, कनिष्ठ सहायक, जयपुर।	11.05.1998	18 वर्ष	11.05.2016	9300-34800	3600

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 13/04/18

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी- 17 /2018/908

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-1/हनुमानगढ़/बांसवाडा।
2. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाइ, राजस्थान, जयपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, हरिबक्स कांक्टिया चिकित्सालय, शास्त्रीनगर, जयपुर।
4. अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, प.क. बांसवाडा।
5. वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र, हनुमानगढ़।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोविन्दगढ़, जयपुर-प्रथम।
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर